निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श0)
(सं0 पटना 604) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

सं०स०–4तक/प्रोत्साहन नीति/38/2017/1229
उद्योग विभाग

संकल्प
15 जून 2021

विषयः– एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल पर आवेदन करने के लिए दिशा–निर्देश।

A. सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल पर आवेदन देने की प्रक्रिया :– बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 एवं बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011/2006 के अंतर्गत एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी :–

क्र0 सं0	विवरणी	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016	बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011/2006
1	ऑन लाइन आवेदन	उद्योग विभाग के सिंगल विंडो क्लियरेंस के पोर्टल http://www.swc.bihar.gov.in पर आवेदन भरा जाना है।	उद्योग विभाग के सिंगल विंडो क्लियरेंस के पोर्टल http://www.swc.bihar.gov.in पर आवेदन भरा जाना है।
2	परिशिष्ट I एवं II के भाग–1	ऑन लाइन आवेदन भरते समय परिशिष्ट I का भाग 1 भरा जाना आवश्यक नहीं है।	ऑन लाइन आवेदन भरते समय परिशिष्ट II का भाग 1 भरा जाना आवश्यक नहीं है।
3	परिशिष्ट I एवं II के भाग– 2	परिशिष्ट I के भाग–2 (2016 नीति से संबंधित) ऑफ लाइन भरकर ऑन लाइन आवेदन के साथ संलग्न करे।	परिशिष्ट II के भाग–2 (2011/2006 नीति से संबंधित) ऑफ लाइन भरकर ऑन लाइन आवेदन के साथ संलग्न करें।

4	वांछित कागजात पोर्टल पर अपलोड करें।	1–विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित परिशिष्ट I के भाग 2 की छाया प्रति। 2–क्षमता निर्धारण प्रमाण पत्र यदि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/एम.एस.एम.ई. के निदेशक द्वारा निर्गत हो तो संलग्न करें।	1–विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित परिशिष्ट II के भाग 2 की छाया प्रति। 2–क्षमता निर्धारण प्रमाण पत्र यदि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/एम.एस.एम.ई. के निदेशक द्वारा निर्गत हो तो संलग्न करें। 3–राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का सहमति पत्र की प्रति। 4–वैट/जी0एस0टी0 पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति। 5– वैट/जी0एस0टी0 के पासबुक की प्रति। 6–वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के प्रमाण पत्र की प्रति। 7– निवेश के संबंध में सी0ए0 का प्रमाण पत्र।

B. विस्तार/आधुनिकीकरण के मामले में :–

यदि विस्तार/आधुनिकीकरण का मामला हो तो निम्नलिखित नियम एस0जी0एस0टी0 के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के समय अनुपालन करें :–

I. उन सभी विस्तार/आधुनिकीकरण के मामलों में जहाँ पर मूल इकाई समान नीति के तहत पात्र हो या न हो, तो मूल और विस्तार/आधुनिकीकरण इकाईयों के लिए अलग–अलग आवेदन भरने होंगे।

II. तदनुसार निवेशक इकाई के विस्तार/आधुनिकीकरण का विस्तृत रूप से परिशिष्ट I एवं II के भाग–2 के E{2(a)} के तहत ब्यौरा देंगे तथा यह भी उल्लेख करेंगे कि यह आवेदन मूल इकाई या विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भरा जा रहा है।

III. इसी प्रकार, E{4(Table 5)} के तहत, उन्हीं इकाईयों की पात्रता उल्लेखित की जायेगी जिनके लिए आवेदन भरा जा रहा है। जैसे कि विस्तारित इकाई के मामले में विस्तारित इकाई वाली ही पात्रता भरी जायेगी।

IV. चूँकि पूरी इकाई के लिए कच्चा माल और बिक्री संयुक्त होता है, मूल और विस्तार/आधुनिकीकरण इकाईयों के लिए अलग–अलग विवरण संभव नहीं है। उन मामलों में पूरी इकाई के लिए Table 4A भरा जायेगा। इस स्थिति में मूल और विस्तार इकाईयों के लिए अलग–अलग एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की गणना स्थापित क्षमता के अनुपात में की जायेगी।

उदाहरण–1 :– यदि कोई इकाई अपनी क्षमता का विस्तार 1000 M.T से बढ़ाकर 1500 M.T करती है और मूल इकाई और विस्तार इकाई दोनों 2016/2011/2006 नीति के तहत पात्र है:–

उत्पादन क्षमता (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	1000 M.T	500 M.T	2:1

इस मामले में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति मूल इकाई एवं विस्तारित इकाई को 2:1 के अनुपात होगी तथा स्वीकृत राशि संबंधित पात्रता राशि से घटा लिया जायेगा।

उदाहरण–2 :–यदि कोई इकाई अपनी क्षमता का विस्तार 1000 M.T से 1500 M.T करती है और केवल विस्तारित इकाई 2016/2011/2006 नीति के तहत पात्र है :–

स्थापित उत्पादन क्षमता (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	1000 M.T	500 M.T	2:1

इस मामले में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति 2:1 के अनुपात में मूल और विस्तारित इकाई के बीच आवंटित किया जायेगा और विस्तारित इकाई के लिए स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता सीमा से घटा दिया जायेगा और मूल इकाई के समानुपातिक एस0जी0एस0टी0 को नजरअंदाज कर दिया जायेगा।

उदाहरण–3 :– यदि कोई इकाई उत्पादन क्षमता 1000 M.T से 1500 M.T बढ़ाती है तथा फिर 2500 M.T करती है। तीनों मामलों में इकाई 2016/2011/2006 नीति के तहत पात्र है:–

स्थापित उत्पादन क्षमता (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	प्रथम विस्तारित इकाई	द्वितीय विस्तारित इकाई	अनुपात
	1000 M.T	500 M.T	1000 M.T	2:1:2

इस मामले में एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति को मूल और विस्तार इकाईयों के बीच 2:1:2 के अनुपात में आवंटन किया जायेगा और स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता सीमा से घटा दिया जायेगा।

C. विशाखन के मामले में :–

यदि विशाखन का मामला हो तो निम्नलिखित नियम एस0जी0एस0टी0 के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के समय अनुपालन करें :–

I. उन सभी विशाखन के मामलों में जहाँ पर मूल इकाई समान नीति के तहत पात्र हो या न हो, तो मूल और विशाखन इकाईयों के लिए अलग–अलग आवेदन भरने होंगे।

II. तदनुसार निवेशक इकाई के विशाखन का विस्तृत रूप से परिशिष्ट I एवं II के भाग–2 के E{2(a)} के तहत ब्यौरा देंगे तथा यह भी उल्लेख करेंगे कि यह आवेदन मूल इकाई या विशाखन के लिए भरा जा रहा है।

III. इसी प्रकार, E{4(Table 5)} के तहत, उन्हीं इकाईयों की पात्रता उल्लेखित की जायेगी जिनके लिए आवेदन भरा जा रहा है। जैसे कि विशाखन इकाई के मामले में विशाखन इकाई वाली ही पात्रता भरी जायेगी।

IV. चूँकि पूरी इकाई के लिए कच्चा माल और बिक्री संयुक्त होता है, मूल और विशाखन इकाईयों के लिए अलग–अलग विवरण संभव नहीं है। उन मामलों में पूरी इकाई के लिए Table 4A भरा जायेगा। इन मामलों में मूल एवं विशाखन इकाई के लिए अलग–अलग एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की गणना अनुमोदित परियोजना लागत के अनुपात में की जाएगी।

उदाहरण–1:– यदि कोई इकाई विशाखन करती है जिसका परियोजना लागत मूल इकाई एवं विशाखन इकाई का रु० 1000 लाख एवं रु० 1500 लाख क्रमशः है और मूल इकाई और विशाखन इकाई दोनों 2016 / 2011 / 2006 नीति के तहत पात्र है :–

अनुमोदित परियोजना लागत (इनक्रीमेंटल)	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	रु० 1000.00 लाख	रु० 500.00 लाख	2:1

इस स्थिति में एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति को मूल और विशाखन इकाई के बीच 2:1 के अनुपात में आवंटित किया जायेगा, स्वीकृत राशि संबंधित पात्रता राशि से घटा लिया जायेगा।

उदाहरण–2 :– यदि कोई इकाई विशाखन करती है जिसका परियोजना लागत मूल इकाई एवं विशाखन इकाई का रु० 1000 लाख एवं रु० 500 लाख क्रमशः है तथा केवल विशाखन इकाई 2016 / 2011 / 2006 नीति के तहत पात्र है :–

अनुमोदित परियोजना लागत / परियोजना लागत	मूल इकाई	विस्तारित इकाई	अनुपात
	रु० 1000.00 लाख	रु० 500.00 लाख	2:1

2:1 के अनुपात में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूति मूल इकाई एवं विशाखन इकाई के बीच होगा तथा स्वीकृत राशि विशाखन से संबंधित पात्रता राशि से घटा लिया जायेगा। मूल इकाई के समानुपातिक एस0जी0एस0टी0 को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

उदाहरण–3 :– यदि कोई इकाई दो बार विशाखन करती है और मूल इकाई की परियोजना लागत, प्रथम विशाखन एवं द्वितीय विशाखन रु० 1000 लाख एवं रु० 500 लाख एवं रु० 1000 लाख क्रमशः है और तीनों 2016 / 2011 / 2006 नीति के तहत पात्र है।

अनुमोदित परियोजना लागत	मूल इकाई	प्रथम विशाखन	द्वितीय विशाखन	अनुपात
	रु० 1000.00 लाख	रु० 500.00 लाख	रु० 1000.00 लाख	2:1:2

इस मामले में एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की मूल इकाई एवं विशाखन इकाई के 2:1:2 के अनुपात में होगा एवं स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता राशि से घटा दिया जाय।

D. विस्तार / आधुनिकीकरण एवं विशाखन के मामले में :–

यदि विस्तार / आधुनीकीकरण एवं विशाखन का संयुक्त मामला हो तो निम्नलिखित नियम एस0जी0एस0टी0 के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के समय अनुपालन करें :–

I. विस्तार / आधुनीकीकरण एवं विशाखन के प्रत्येक मामलों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र भरा जायेगा।

II. ऐसे मामलों में चूँकि इकाई की क्षमता समान नहीं भी हो सकती है, इसलिए विस्तार / आधुनीकीकरण एवं विशाखन के संयुक्त मामलों में स्वीकृत एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की गणना अनुमोदित परियोजना लागत के अनुपात में की जाएगी।

उदाहरण :– नीचे दिये गये विवरण के अनुसार यदि कोई इकाई विस्तार और विशाखन करती है। मूल इकाई, विस्तार / आधुनीकीकरण एवं विशाखन इकाईयाँ तीनों 2016 / 2011 / 2006 नीति के तहत पात्र है।

	मूल इकाई	विस्तार इकाई	विशाखन इकाई	अनुपात
अनुमोदित परियोजना लागत	रु० 1000.00 लाख	रु० 500.00 लाख	रु० 1000.00 लाख	2:1:2
स्थापित क्षमता	1000 M.T	500 M.T	1200 CFT	अनिर्धारित

इस स्थिति में, एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति को मूल, विस्तार एवं विशाखन इकाईयों के बीच 2:1:2 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा, और स्वीकृत राशि को संबंधित पात्रता सीमा से घटा दिया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 604-571+1000-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in